

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश


क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-3/2013/1071
प्रति

दिनांक 31/10/2013
1/10/2013

समस्त
संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश

विषय :- संचालनालय द्वारा जारी नोटिस क.9/नर्सिंग/सेल2/2013/451,452 दिनांक
24.5.2013 के संबंध में।

उपरोक्त विषय में अंकित नोटिस के परिपेक्ष्य में अनेक स्टाफ नर्सों द्वारा उच्च न्यायालय के विभिन्न खंडपीठों में याचिकाएँ दायर की गई थीं। इसका निर्णय दिनांक 8.9.2013 को न्यायालय द्वारा किया गया है, जिसमें सभी की याचिकाएँ खारिज कर दी गई हैं, परिणाम स्वरूप दिनांक 8.9.2013 से ही इन नोटिसों के प्रभाव स्वरूप इनकी सेवाएँ समाप्त हो चुकी हैं। आप अपने स्तर से इसके संबंध में उचित कार्यवाही सुनिश्चित कर संचालनालय को तत्काल अवगत करायें।


संचालक 31/10/13
चिकित्सा सेवाएँ
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-3/2013/
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक /10/2013

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर म.प्र.।
3. उप संचालक, लीगल स्थानीय कार्यालय।
4. नोडल अधिकारी कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर म.प्र.।
5. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर आदेश प्रसारित करने बावत्।

संचालक
चिकित्सा सेवाएँ
मध्यप्रदेश